माउन्टबेटन योजना (1947)
[Mountbatten Plan (1947)]

23 मार्च, 1947 ई. को लार्ड वैवल के स्थान पर लार्ड माउन्टबेटन भारत के वायसराय नियुक्त हुए। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे 30 जून, 1948 ई. से पहले भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तान्तरण कर दें। इसलिए उन्होंने भारत के राजनैतिक दलों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी। विभिन्न नेताओं से बातचीत करके माउन्टबेटन इंग्लैण्ड गये। वहां से भारत लौट कर 3 जून, 1947 ई. को उसने एक योजना प्रस्तावित की, जिसे 'माउन्टबेटन योजना' कहते हैं। इसे प्रकाशित करने से पूर्व ही उन्होंने कांग्रेस, लीग और सिख नेताओं से परामर्श कर लिया था।

माउन्टबेटन योजना और भारत का विभाजन
(Mountbatten Plan and Partition of India)

लार्ड माउन्टबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा की । इस योजना द्वारा ब्रिटिश भारत का दो स्वंतत्र राज्यों में विभाजन किये जाने का प्रावधान किया गया था। 14 जून 1947 को इसे कांग्रेस महासमिति की बैठक मे स्वीकृति हेतु रखा गया। देश के विभाजन का अनेक नेताओं ने विरोध किया, जिनमें डॉ. किचलू, पुरूषोत्तम टंडन मौलाना हफीजुर्रहमान, चौथराम गिडवानी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देश के विभाजन को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी सर्वसम्मति से स्वीकार नही किया। 1161 सदस्यों मे से 161 सदस्य विभाजन के विरोध में या तटस्थ रहे। इस योजनानुसार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाना था कि वह भारत में सम्मिलित होगा या पाकिस्तान में । यही प्रक्रिया आसाम में मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में लागू की जानी थी, जिससे उसे यह निर्णय करना था कि वह पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होगा या भारत में। जनमत–संग्रह द्वारा पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी प्रंजाब ने यह निश्चय किया कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे तथा पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब ने भारत में विलय होने का निश्चय

किया। सिल्हट जिले तथा उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रांत के जनमत संग्रह के आधार पर उन्हें पाकिस्तान में मिला दिया गया।

माउन्टबेटन योजना की मुख्य सिफारिशें
(Main Recommendations of Mountbatten Plan)

1. ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत का शासन जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को सौंपने की इच्छा रखती है।
2. वर्तमान संविधान निर्मात्री सभा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करने की इच्छा सरकार की नहीं है।
3. वर्तमान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित संविधान को देश के उन भागों में कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे।
4. वर्तमान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार न करने वाले क्षेत्रों की इच्छाओं को जानने के लिए एक प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया।
5. सिन्ध की विधान सभा को अपने प्रदेश के लिए निर्णय करने का अधिकार दिया गया।
6. उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रान्त के विषय में निर्णय जन मत संग्रह के द्वारा किया जायेगा।
7. देशी रियासतों के सम्बन्ध में उसी योजना तथा व्यवस्था को स्वीकार किया जायेगा जिसका उल्लेख मंत्रिमण्डल योजना में किया गया था।
8. 1948 ई. तक ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तान्तरण करने की प्रतीक्षा नहीं करेगी। वह 1947 ई. में ही इस कार्य को सम्पन्न करेगी।
9. भारत और पाकिस्तान को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होगी कि यदि वे चाहें तो राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्याग दें।
10. भारत व पाकिस्तान के राज्यों के मध्य लेन–देन के विभाजन के लिए भी समझौता किया जायेगा।
11. असम का सिलहट जिला चूंकि मुस्लिम बहुल था इसलिए यह व्यवस्था की गई कि वहां की जनता जनमत संग्रह द्वारा निर्णय करे।

मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया। शुरू में कांग्रेस इस योजना के विरुद्ध थी। मौलाना आजाद ने कहा कि इस घोषणा के प्रकाशन के बाद भारत की एकता को बनाये रखने की सारी आशाएँ समाप्त हो गयी हैं। वह पहला अवसर था जब कि मंत्रिमण्डल मिशन योजना को अस्वीकृत कर दिया गया तथा देश के विभाजन को अधिकृत रूप से स्वीकार किया गया। किन्तु विचार–विमर्श के बाद कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। अतएव इसे लागू करने के लिए कदम उठाये गये। बंगाल और पंजाब की विधान सभाओं ने विभाजन के पक्ष में मत दिया। लेकिन पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब को भारतीय संघ में रखा गया। सिन्ध

की विधान सभा ने पाकिस्तान में मिलने का समर्थन किया। सिलहट के जन मत संग्रह के अनुसार उसने पूर्वी बंगाल में रहना स्वीकार किया। ब्लूचिस्तान ने पाकिस्तान में मिलना स्वीकार किया।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (1947 ई.) (The Indian Independence Act of 1947)

लार्ड माउन्टबेटन ने अपनी योजना की राजनैतिक दलों से स्वीकृति ले ली। 16 जुलाई तक इंग्लैण्ड की संसद ने प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की। 18 जुलाई को इस पर इंग्लैण्ड के सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार 3 जून, 1947 ई. की योजना को वैधानिक रूप दे दिया गया।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम की मुख्य धाराएँ (Main Sections of the Indian Independence Act)

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। **प्रो. नार्मन डी. पामर लिखते है कि 'ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय और इतने कम वाद–विवाद के साथ पास हुआ हो।'** इस अधिनियम में 20 धाराऐं थी। इस ऐतिहासिक अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य धाराऐं थी–

1. **दो अधिराज्यों की स्थापना** – अधिनियम द्वारा संयुक्त भारत को दो भागों – भारत व पाकिस्तान में बांट दिया। दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को प्रभुसत्ता (Sovereignty) सौंपने की व्यवस्था थी।
2. **दोनो अधिराज्यों के प्रदेशों का वर्णन** – स्वतन्त्रता अधिनियम की धारा 3 और 4 में बंगाल और पंजाब के बंटवारे के लिए उपलब्ध रखे गये। भारत में **बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, बिहार, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, अजमेर तथा मारवाड़ आदि शामिल थे। पाकिस्तान में सिन्ध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, असम का सिलहट जिला, बहावलपुर, खैरपुर** आदि शामिल थे।
3. **गवर्नर जनरलों की ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्ति** – अधिनियम द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई कि यदि दोनों अधिराज्य सहमत हो जाऐं, तो वे एक साझा गवर्नर जनरल भी रख सकते है अन्यथा दोनों राज्यों के लिए अलग–अलग गवर्नर–जनरल की नियुक्ति का प्रावधान था।
4. **संविधान सभा को नया संविधान बनाने का अधिकार** – दोनों अधिराज्यों को यह अधिकार दिया गयाकि वे अपनी इच्छानुसार अपने अधिराज्य के लिए नया संविधान बना सकें तथा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग हो सके।
5. **ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की समाप्ति** – ब्रिटिश सरकार का किसी भी अधिराज्य अथवा उसके किसी प्रान्त अथवा उसके किसी भाग पर 15 अगस्त, 1947 ई. के पश्चात् कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

6. **अधिराज्यों के विधानमण्डल को कानून बनाने का अधिकार** – प्रत्येक अधिराज्य के विधानमण्डल को उस अधिराज्य के शासन के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। उस अधिराज्य द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून इस आधार पर रद्द नहीं समझा जायेगा कि इंग्लैण्ड के किसी कानून या भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के किसी उपबन्ध या उसके अन्तर्गत बनाये हुए किसी नियम से टकराता हो।

7. **ब्रिटिश सम्राट के अधिकारों की समाप्ति** – ब्रिटिश सम्राट के पद से भारत का सम्राट नामक पद हटा दिया जायेगा। इंग्लैण्ड के सम्राट की अधिराज्यों के कानूनों पर वीटो (निषेधाधिकार) लगाने की शक्ति को समाप्त कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् कोई विधेयक उसकी अनुमति के लिए आरक्षित नहीं किया जायेगा।

8. **भारत सचिव के पद की समाप्ति** – अधिनियम के अनुसार भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। उसके कार्य राष्ट्रमण्डल के सचिव के हवाले कर दिये गये।

9. **देशी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति** – दो अधिराज्यों की उत्पत्ति के बाद ब्रिटिश सरकार की उन प्रदेशों के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जो ब्रिटिश भारत में शामिल थे। सम्राट की सरकार कीजो सर्वोच्चता देशी रियासतों पर थी, वह समाप्त हो गयी। देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार की सभी सन्धियां एवं समझौते समाप्त हो गये।

10. **भारत का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा** – जब तक दोनो अधिराज्य अपना अपना नया संविधान नहीं बनाते; तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही प्रत्येक उपनिवेश का प्रशासन चलाया जायेगा। 1947 के अधिनियम द्वारा ऐसे संशोधन किए गये, जिससे अन्तरिम काल में इन दोनों राज्यों का शासन प्रजातन्त्रात्मक पद्धति के आधार पर संचालित हो।

11. **भारतीय नागरिक सेवाओं** के सदस्यों की नौकरी की शर्तें यथावत रहेगी।

12. **भारत मन्त्री का पद** समाप्त कर दिया गया।

13. **उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त** के कबीलों पर ब्रिटिश सरकार कोई प्राधिकार (Authority) नहीं रखेगी तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् पाकिस्तान की सरकार समझौता करेगी।

14. अधिनियम के अन्तर्गत 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद होगा।

15. जब तक भारतीय सेना का दोनों अधिराज्यों में बंटवारा नहीं हो जाता तब तक इंग्लैण्ड का सम्राट सेना की कमान तथा शासन के लिए उत्तरदायी होगा।

अतः इस तरह भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 बहुत ही गौरवपूर्ण था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि – 'भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का काल आज समाप्त होता है और अब से ब्रिटेन के साथ हमारा अपना सम्बन्ध समानता, पारस्परिक सद्भावना और पारस्परिक लाभ के आधार पर रहेगा।'

स्वतन्त्रता की प्राप्ति

15 अगस्त, 1947 ई. की आधी रात को भारत स्वतन्त्र हुआ। 1757 ई. में जिस अंग्रेजी राज्य का प्रारम्भ भारत की धरती में प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ था, उसमें वह लगभग 190 वर्ष तक निरन्तर प्रगति करता हुआ आगे बढ़ा। जब भारतीयों ने उनके सम्पर्क में आकर उनकी कूटनीतिक चाल को समझा तब इसके फलस्वरूप उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई। उन्होंने अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। अन्त में लम्बे संघर्ष के पश्चात् भारतीयों का मनोरथ पूर्ण हुआ। भारतीय स्वतन्त्रता में असंख्य वीरों ने अपना त्याग और बलिदान दिया, उनके कारण ही आज हम अपने आपको स्वतन्त्र भारत का नागरिक कहे जाने का गौरव प्राप्त करने में समर्थ हो सकें है।